

**पूर्व मध्य रेल**

**कार्यालय आदेश सं०- 121/2024**

रेलवे बोर्ड के आर.बी. ई.सं०- 161/2009 पत्र सं०-E(NG)I-2008/PM1/15 दिनांक 03.06.2009 में दिये गये निर्देशानुसार सांख्यिकी विभाग/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को अवर लिपिक, पे लेवल- 2 से वरिष्ठ लिपिक, पे लेवल-5 में पदोन्नति हेतु सुयोग्यता जाँच में सफल होने तथा D&AR/Vig/SPE मामलों से मुक्त होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से वरिष्ठ लिपिक, पे लेवल-5 में पदोन्नत कर उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है:-

| क्रम सं० | कर्मचारी का नाम (सर्वश्री) | समुदाय | पदनाम एवं वर्तमान कार्यस्थल                                                                       | पदोन्नत पद एवं पदोन्नति पर पदस्थापना स्थल                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | अखिलेश्वर कुमार            | ST     | अवर लिपिक, लेवल-2/ सांख्यिकी विभाग/पूमरे/हाजीपुर<br>Pay ₹ 41000/- in L-4 (MACP) w.e.f. 01.07.2023 | वरिष्ठ लिपिक, लेवल-5/ सांख्यिकी विभाग/पूमरे/हाजीपुर<br>Pay ₹ 41600/- in L-5 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी<br>₹ 44100/- w.e.f. 01.07.2024 (On option)<br>₹ 45400/- w.e.f. 01.01.2025 |
| 2        | संजीव कुमार                | UR     | अवर लिपिक, लेवल-2/ सांख्यिकी विभाग/पूमरे/हाजीपुर<br>Pay ₹ 23800/- in L-2 w.e.f. 01.07.2023        | वरिष्ठ लिपिक, लेवल-5/ सांख्यिकी विभाग/पूमरे/हाजीपुर<br>Pay ₹ 29200/- in L-5 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी<br>₹ 30100/- w.e.f. 01.07.2025 (On option)                                |

यदि उपरोक्त कर्मचारी चाहें तो नियम 1313 आर-II, RBE No. 90/2016 दिनांक 28.07.2016 के पैरा 10 एवं RBE No. 79/2017 दिनांक 31.07.2017 के तहत पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कराना चाहते हों तो उचित माध्यम से अपना विकल्प एक माह के अंदर दे सकते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। कर्मचारी का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगा।

**NOTE:** In terms of Railway Board's letter No. 2018-E(SCT)I/25/9 dtd. 28.12.2018, these orders are provisional and are subject to the final outcome of ongoing litigation/court cases on the subject.

(सहम0के0चौधरी)  
सकाधि/ईएसएम  
कृते महाप्रबंधक (का०)

पत्रांक-ECR-HQ0PERS(ADMN)/12/2020 ( C.No. 30318)

दिनांक .06.2024

**प्रतिलिपि/-** निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर
2. उप मु.सां.एवं वि./पूमरे/हाजीपुर
3. सकाधि (बिल) /पूमरे/हाजीपुर
4. शाखा सचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर
5. संबंधित कर्मचारी

कृते महाप्रबंधक (का०)